[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub - Section (ii)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

[CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES]

Notification

New Delhi, the 8th of May, 2018

INCOME-TAX

S.O. … (E).–In exercise of the powers conferred by item (ii) of the proviso to clause (48A) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government, having regard to the national interest, hereby notifies the following foreign company and agreement, for the purposes of the said clause, namely:—

(i) Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC Marketing International Limited, and ADNOC Marketing International (India) RSC Limited, as the foreign companies; and

(ii) the Oil Storage and Management Agreement, dated the 25th January, 2017, entered into by and between Indian Strategic Petroleum Reserves Limited and Abu Dhabi National Oil Company read with the Amended and Restated Oil Storage and Management Agreement, dated the 10th February 2018, entered into by and between Indian Strategic Petroleum Reserves Limited, Abu Dhabi National Oil Company and ADNOC Marketing International (India) RSC Limited, as the agreements.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[Notification No. 22/2018/ F. No. 370142/6/2018-TPL]

(Dr. T. S. Mapwal)
Under Secretary (TPL-IV)

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
[केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड]

अधिसूचना सं.

नई दिल्ली, 8 मई, 2018

आय-कर

का.आ. (अ) केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (48क) के परंतुक की मद (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित विदेशी कंपनी और करार को अधिसूचित करती है, अर्थात् :--

(i) विदेशी कंपनियों के रूप में, आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, एडीएनओसी मार्किटिंग इंटरनेशनल लिमिटेड और आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, मार्किटिंग इंटरनेशनल (इंडिया) आरएससी लिमिटेड ; और

(ii) करारों के रूप में, इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड और आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी तथा आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी मार्किटिंग इंटरनेशनल (इंडिया) आरएससी लिमिटेड द्वारा और उनके बीच 10 फरवरी, 2018 को किए गए संशोधित और पुन:कथित तेल भंडारण और प्रबंध करार के साथ पठित उनके द्वारा और उनके बीच 25 जनवरी, 2017 को किया गया तेल भंडारण और प्रबंध करार।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[अधिसूचना सं0.....22...../2018/फा0सं0 370142/6/2018-टीपीएल)]

(डा0टी.एस. मपवाल)
अवर सचिव, भारत सरकार